१-१

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना–पत्र संख्या 09 / 2025 भगाराम वगैरह बनाम गंगाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री नवनीत कुमार, आर. ए. एस.

आदेश

दिनांक 11.06.2025

उपस्थिति

1. अपीलांट की तरफ से अधिवक्ता श्री कैलाश एन सारण
2. उत्तरदाता की तरफ से ब्रीफ होल्डर अधिवक्ता श्री सवाईसिंह राठौड़

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद पेश किया गया। मूल अपील दिनांक 23.04.2025 को अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया। मूल अपील को पुनः बरामद करने हेतु प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 19 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत पेश किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता का दिनांक 16.12.2023 को देहान्त होने से प्रार्थीगण को प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। अधिवक्ता का देहान्त होने से अपीलांट न्याय से वंचित हो गया। अपीलांटगण अपनी अपील को गुणावगुण पर निस्तारण करवाना चाहते हैं जिस कारण अपीलांटगण की अपील को पुनः बरामद किया जाना विधि सम्मत है अतः प्रकरण को को गुणावगुण पर निर्णीत करने हेतु हस्तगत आवेदन स्वीकार फरमाई जावे।

उत्तरदाता के अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट को श्रीमान न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा जानबूझकर माननीय न्यायालय में उपस्थिति नहीं देने के कारण अपील को खारिज किया गया। अपीलांट न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। अतः आवेदन खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनने एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मूल अपील अपीलांटगण के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में खारिज किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के मुताबिक प्रार्थीगण के अधिवक्ता का देहान्त हो चुका था। इसलिए अपील अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गई। अपील का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। न्यायाहित में अपीलांट को अपने प्रकरण को गुणावगुण पर निस्तारण का अवसर दिया जाना लाजमी है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.04.2025 को निरस्त किया जाता है तथा मूल अपील को पुनः पुराने नंबर पर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार नंबर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सरे इजलास दिनांक 11.06.2025 को सुनाया गया।

11/6/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर